भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3304

जिसका उत्तर मंगलवार 01 जनवरी, 2019 को दिया जाना है

सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान नहीं करना

3304. श्री श्यामा चरण गुप्त:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्तूबर 2016 से अब तक मंत्रालय के अन्तर्गत सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की संख्या लगभग 250 है तथा इनमें से प्रत्येक को लगभग 15 लाख रुपये से 40 लाख रुपये का भुगतान किया जाना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान न करने से उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने सितंबर 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के आवश्यक भुगतान के लिए संस्था के प्रमुख के माध्यम से कैबीनेट की स्वीकृति से प्रबंध नहीं किया था तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय से अक्टूबर, 2016 से नवम्बर, 2018 तक कुल बीस (20) कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। इन सभी कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान कर दिया गया है और इस संबंध में कोई मामला लंबित नहीं है।

(ख): लागू नहीं, क्योंकि अक्टूबर, 2016 से नवम्बर, 2018 तक मंत्रालय से सेवानिवृत्त सभी 20 कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान कर दिया गया है।

(ग): लागू नहीं, क्योंकि मंत्रालय से सितम्बर, 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान कर दिया गया है।

*****